संख्या-1/2022/1185/तेइस-7-2021-103(सा0)/2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषय:- मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0-0000032/2015 श्री राजेश कुमार एवं 01 अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर (वाहन स्वामी) एवं अन्य में मा0 न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, न्यायालय सं0-4, बाराबंकी द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 17.01.2017 एवं एफ0ए0 एफ0ओ0 डिफेक्टिव सं0-1001/2017 श्री राजेश कुमार एवं अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर पता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ (वाहन स्वामी) में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 के क्रम में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6576बीजी/245बी(6)/2021-22, दिनांक 12-11-2021 एवं पत्र संख्या-4595बीजी/245बी(6)/2021-22, दिनांक 04-09-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0-0000032/2015 श्री राजेश कुमार एवं 01 अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर (वाहन स्वामी) एवं अन्य में मा0 न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, न्यायालय सं0-4, बाराबंकी द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 17.01.2017 एवं एफ0ए0एफ0ओ0 डिफेक्टिव सं0-1001/2017 श्री राजेश कुमार एवं अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर पता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ (वाहन स्वामी) में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 के क्रम में धनराशि रू0 2,10,000.00 (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) के भुगतान हेतु बी0एम0-15 प्रपत्र पर डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 12-11-2021 एवं दिनांक 04-09-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0-0000032/2015 श्री राजेश कुमार एवं 01 अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर (वाहन स्वामी) एवं अन्य में मा0 न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, न्यायालय सं0-4, बाराबंकी द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 17.01.2017 एवं एफ0ए0एफ0ओ0 डिफेक्टिव सं0-1001/2017 श्री राजेश कुमार एवं अन्य बनाम सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर पता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ (वाहन स्वामी) में मा0 उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 के क्रममें धनराशि रू0 2,10,000.00 (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) को मा0 न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, बाराबंकी में जमा किये जाने हेतु डिक्रीटल मद से आवंटन किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य'' मद के नामे डाला जायेगा।

4- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी यांत्रिक खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुक्रम में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रथम बार जारी किया जा रहा है। इसकी पुष्टि धनावंटन करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

अभय कुमार

संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2022/1185(1)/तेइस–7–2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(वि0/यॉ0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता,30वां (वि0/यॉ0) वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी यांत्रिक खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in